

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- जविप्रा/अधि.अभि.(उद्यान- I)/2018/डी- 530

दिनांक: 10.9.2018

स्थायी आदेश

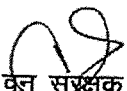
प्रति वर्ष ट्री गार्ड निर्मित किये जाकर जनसाधारण (निजी आवास कर्ता)/संस्थाओं सरकारी संस्थाओं इत्यादि को रियायती दर /वास्तविक लागत/निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। ट्री गार्ड उपलब्ध कराये जाने बाबत आवंटन की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	सक्षम अधिकारी
1	निजी आवास कर्ता को अधिकतम 2 ट्री गार्ड रियायती दर पर रु. 650.00 प्रति ट्री गार्ड।	अधिशायी अभियन्ता (उद्यान- I)
2	विकास समिति/सामाजिक संगठनों/संस्थाओं को अधिकतम 20 ट्री गार्ड रु. 850.00 प्रति ट्री गार्ड की निर्धारित दर पर आवंटन का अधिकार।	निदेशक (अभियान्त्रिकी)/वन संरक्षक
3	विकास समिति/सामाजिक संगठनों/संस्थाओं को अधिकतम 50 ट्री गार्ड रु. 850.00 प्रति ट्री गार्ड की निर्धारित दर पर आवंटन का अधिकार।	जयपुर विकास आयुक्त
4	सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क ट्री गार्ड के आवंटन का अधिकारी।	जयपुर विकास आयुक्त

यह आदेश जयपुर विकास आयुक्त से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक अभियान्त्रिकी (वित्त), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम/द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ उद्यानविज्ञ, जविप्रा, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (उद्यान), जविप्रा, जयपुर।
7. अधिशायी अभियन्ता (उद्यान- I/II), जविप्रा, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड।
9. रक्षित पत्रावली।


वृत्त संरक्षक
जविप्रा, जयपुर


वृत्त संरक्षक
जविप्रा, जयपुर